

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह जिला - बोकारो।

नीलाम पत्र मुकदमा सं० - 29/22-23

बैंक ऑफ इंडिया, बंगलौर बनाम

सर्टिफिकेट होल्डर

सर्टिफिकेट डेब्टर

श्री धूमरा रत्नकर जिमिकी पुरा - रत्नकर
अनुसूची - 14 फारम सं० - 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
04.02.23	प्रबंधक सह अधियानी पदाधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया, बंगलौर के द्वारा देनदार श्री धूमरा रत्नकर जिमिकी पुरा - रत्नकर का - बैंक ऑफ इंडिया जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 46957/- रुपये वसूली हेतु पी0डी0आर0 एक्ट के तहत प्रपत्र 2 में अधियाचना पत्र दाखिल किया है। साथ ही कार्ट फी 3528/- रुपये दाखिल किया है। जिसकी विवरणी निम्न है 43429 + 3528 = 46957/- अधियाचना पत्र परिपूर्ण है। बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार को धारा 7 पी0डी0आर0 एक्ट के अधीन विधीवत सूचना निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 21/02/23 को उपस्थापित करे। नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह।	अभिलेख संलग्न (1) फॉर्म-1 (2) फॉर्म-2 (3) चेकबिस्त (4) कोर्ट एफिडेविट
21/02/23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। सुनवाई की अगली तिथि 14/03/23 निर्धारित की जाती है। नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह।	

14.3.2023

अभिलेख उपलब्धित ।

देमदार अनुपस्थित, पुनः नौसिखी निर्धारित करें ।

अभिलेख दिनांक 14/03/2023 को उपलब्धित करें ।

निलाम 
नौसिखी अधिकारी
जरीदीह

22/03/23

अभिलेख उपलब्धित ।

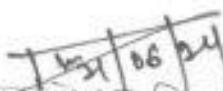
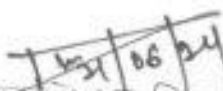
कार्यवाही कार्यों में व्यवसाय रहने के कारण नौसिखी निर्धारित नहीं किया जा सका। पुनः नौसिखी निर्धारित करने हेतु अभिलेख दिनांक 21/03/23 को उपलब्धित करें ।


निलाम 
नौसिखी अधिकारी
जरीदीह

21/06/24

अभिलेख उपलब्धित ।

आरक्षक प्रबंधक B.O.P. जेनामोड ने लिखित रूप में सूचित किया कि रजि. पूर्णतः प्रसूत होकर रजि. रजि. बन्द कर दी गयी है। Certificate holder के अभिलेख के आधार पर Certificate case समाप्त की जाती है।


निलाम 
नौसिखी अधिकारी
जरीदीह